वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर को पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल में वन पारेक्षेत्र दुर्गूकोंदल में लौह अयस्क खनिपट्टा आबंटित है जिसके लिये भारत सरकार ने उन्हें दिनांक 04.08.2014 को 76.5 हे. वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम की अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई थी। आवेदक संस्थान द्वारा खनिपट्टा तक पहुँच मार्ग हेतु एवं पारेषण लाईन हेतु दुर्गूकोंदल परिक्षेत्र के आरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 642 रकबा 1.788 हे. एवं संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक—876 रकबा 0.792 हे. वनभूमि कुल 2.580 हे. वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु मांग की है। प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए पहुँच मार्ग एवं पारेषण लाईन विस्तार हेतु कुल 2.580 हे. वनभूमि में गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 17/06/2020
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

(राकेश चतुर्वेदी)
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर– 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512800 ई – मेलः cgpccf@gmail.com

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–254/ 1159 रायपुर, दिनांक 17/06/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for the Approach Road from mines to Public Road covers an area of 0.95 ha. and the Power Line covers an area of 1.62 ha. the Forest land is required for approach road and drawing overhead Power Line to our Mines, total area – 2.58 ha.regarding .**

संदर्भः 1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/मा. चि./न. क्र.–78/ 2020/ 1261 दिनांक 08.06.2020

2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र–78/2020/ 748 दिनांक 08.04.2020

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर के 2.58 हे.वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1) – आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर को पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल में वन परिक्षेत्र दुर्गूकोंदल में लौह अयस्क खनिपट्टा आबंटित है जिसके लिये भारत सरकार ने उन्हें दिनांक 04.08.2014 को 76.5 हे. वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम की अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई थी। आवेदक संस्थान द्वारा खनिपट्टा तक पहुँच मार्ग हेतु एवं पारेषण लाईन हेतु दुर्गूकोंदल परिक्षेत्र के आरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 642 रकबा 1.788 हे. एवं संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक–876 रकबा 0.792 हे. वनभूमि कुल 2.580 हे. वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मांग की गई है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 3) – आवेदक संस्थान द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/Approach/32947/2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल द्वारा की गई है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 29,000/– कुल 35000 रू. जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 4) – पहुंच मार्ग एवं पारेषण लाईन हेतु दुर्गूकोंदल परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 642 के 1.788 हे. एवं संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 876 के 0.792 हे. वनभूमि; कुल 2.580 हे. क्षेत्र का विवरण उपलब्ध है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण – प्रस्ताव अनुसार परियोजना में गैर वन क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 5. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 5 से 7) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 8) – वनक्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है। इंडेक्स मैप के के साथ एफ.एम.आई.एस द्वारा जारी किया वन आवरण मानचित्र (1:15000), वन संनिधि मानचित्र (1:15000) एवं वन प्रकार मानचित्र (1:15000) संलग्न हैं।

बि.क्र. 7. प्रपत्र –4 में प्रस्ताव पृष्ठ 9 से 15) – प्रपत्र– 4 में परियोजना की कुल लागत रू. 8.00 लाख है। वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर ने प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की है तथा यह उल्लेख किया है कि वन भूमि की आवश्यकता न्यूनतम है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 16) – यूजर एजेंसी द्वारा परियोजना का विस्तृत टीप दिया गया है। Executive Summary संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 17) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 18) – वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 19 एवं 20) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र पहुँच मार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार हेतु प्रस्तावित है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 अनुसार पर्यावरण संरक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 22 से 33) – मिश्रित प्रजाति के 53 नग वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है जिनकी सूची प्रस्ताव में संलग्न हैं।

बि.क्र. 13. कास्ट / बेनिफिट ऐनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 34) – प्रस्तावित क्षेत्र 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 14. चयनित गैर वन क्षेत्र / निजी भूमि (पंचशाला खसरा कि नकल मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तातंरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 35) – प्रस्ताव अनुसार परियोजना में गैर वन क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 36) – प्रस्ताव अनुसार परियोजना में गैर वन क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 67 से 45) – पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल अंतर्गत राजस्व वन भूमि कर्रामाड़ में खसरा क्रमांक 448 कुल रकबा 14.540 हे. में से 5.160 हे. क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित है। 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन वर्तमान में लागू दर 726270/– प्रति हे. के मान से बनाया जाकर संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 37 से 49) – राजस्व वन भूमि कर्रामाड़ में खसरा क्रमांक 448 कुल रकबा 14.540 हे. में से 5.160 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कराये जाने की अनापत्ति कलेक्टर कांकेर के पत्र दिनांक 09.01.2020 द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव पृष्ठ 48 पर है तथा स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा जारी किया गया है जो प्रस्ताव पृष्ठ 49 पर है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लघंन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 50 एवं 51) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया गया है। वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल की टीप संलग्न है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लघंन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 52) – लागू नहीं।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 52)– लागू नहीं।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र – वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व वन भूमि प्रस्तावित होने कारण लागू नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 53) –कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नही है। वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल की टीप संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 54) – माईनिंग प्रकरण नहीं होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल की टीप संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IVM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 55)– माईनिंग प्रकरण नहीं होने के कारण आवश्यकता नहीं है। वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल की टीप संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 56) –व्यवस्थापन प्लान की आवयकता नहीं है। वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल की टीप संलग्न है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IVrd) (प्रस्ताव पृष्ठ 57 से 62) – वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) संलग्न है। प्रपत्र II में वन मंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा अनुशंसा की गई है तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन वन मंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर ने वनो का घनत्व 0.6 लेख किया है। वन मंडलाधिकारी के अभिमत से मुख्य वन संरक्षक कांकेर ने निर्धारित प्रपत्र III में अपनी सहमति दर्शित करते हुए प्रस्ताव की अनुशंसा की है।

ब.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण –पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 64) – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है परंतु 500 मीटर के दायरे में बंजारी माता का मंदिर स्थित है जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 65 से 77) – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव हेतु चयनित वनभूमि के समीप ग्राम दुर्गूकोंदल का ग्राम पंचायत का अनापत्ति संबंधी बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 78) – प्रस्ताव अनुसार जिले की कुल वनभूमि 3358.370 वर्ग कि.मी. है।

बि.क्र. 30. –1980 अंतर्गत जिले की स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 79) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 स्वीकृत प्रकरणों में कुल 1361.640 हे. वनभूमि प्रभावित है। वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल की टीप संलग्न है।

बि.क्र. 31. –1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 80) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि 1361.640 हे. दर्शित है।

बि.क्र. 32 प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी प्रस्ताव पृष्ठ 81) – आवेदित वनभूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उधान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है। वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल की टीप संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन (केवल खनन प्रकरण में प्रस्ताव पृष्ठ 82) – प्रस्तावित क्षेत्र खनन हेतु प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवश्यकता नहीं है, वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल की टीप संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 83 से 87) –आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा जारी किया गया वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 11.05.2020 तथा अनुविभीय स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण एवं संबंधित ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 88) – प्रस्तावित क्षेत्र आरिक्षत / संरक्षित वन होने के कारण कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल की टीप संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 89) – आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act,1980 Deposition of funds with the AD-hoc CAMPA: Remittances of precede 2 nd stage Clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 90)– आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on soil productivity or the lack of it **(प्रस्ताव पृष्ठ 91)** – प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पहुंच मार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार के लिये है आवेदित क्षेत्र कक्ष क्रमांक 642/ पी 876 के कुल रकबा 2.58 हे. क्षेत्र में

प्राकृतिक पुनर्रोत्पादन स्थिति सामान्य है। क्षेत्र पहाड़ी एवं पथरिली होने के कारण जैविक दबाव लगभग शून्य है। आवेदित क्षेत्र का औसत घनत्व 0.6 हे. है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 92) – आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना की भूमि पर किसी भी अन्य प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जायेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 40. Division of large area (more then 500 ha)of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (conservation)Act 1980 Stipulation of additipna condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) **(प्रस्ताव पृष्ठ 93)** – लागू नहीं ।

बि.क्र. 41. पंजीयन कमांक – विस्तृत विवरण चेक लिस्ट क्रमांक–2 पर है।

बि.क्र. 42. वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – आवश्यकता नहीं है। चूॅकि पूर्व में स्वीकृत वन भूमि के लिये पहुंच मार्ग तथा पारेषण लाईन विस्तार किया जाना है अतः प्रस्ताव में कोई अभिमत नहीं दिया गया है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा ग्रीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – विद्युत लाईन खनिपट्टा क्षेत्र के अनुसार निर्माण की जानी है अतः तीन विकल्प का परीक्षण प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) जानकारी का विवरण – निरंक।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों / दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में **www.parivesh.nic.in** पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा विषयांकित प्रकरण की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए तथा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत प्रकरण स्वीकृति हेतु 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 3 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़